राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/जी.एस.टी./2017-18/251 दिनांक :- 11.07.2017

आदेश

समस्त आवासीय अभियन्ताओं एवं संबंधितों को परिपत्र क्रमांक F2(8)/Comp./GST/2017-18/192 दिनांक 21.06.2017 के माध्यम से संवेदकों द्वारा 30 जून, 2017 तक किये गये कार्यो के बिलों का भुगतान अगले 30 दिवसों में सेवाकर प्रावधानों के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। मण्डल के जी.एस.टी. सलाहकार ने अवगत कराया है कि 30 जून, 2017 तक किये गये कार्यो के भुगतान में सेवाकर प्रावधानों के अनुसार Reverse Charge Mechanism (RCM) के तहत काटी गई राशि को 25 जुलाई, 2017 तक अनिवार्य रूप से सेवाकर विभाग में जमा करवाई जाने पर ही मण्डल को इसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि Reverse Charge Mechanism (RCM) के तहत काटी गई राशि को 25 जुलाई, 2017 तक अनिवार्य रूप से सेवाकर विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा किसी भी प्रकार की शास्ति, विलम्ब के लिये आरोपित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/तृतीय, जयपुर / द्वितीय, जोधपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... राजस्थान आवासन मण्डल।
6. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल।
7. आवासीय अभियन्ता एवं प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि मण्डल की वेबसाईट एवं सभी इकाईयों के ई-मेल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार